



कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :— apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(02)CAMPA(2021-22)- 498

दिनांक : 12.11.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयित की जाने वाली “प्रतिकरात्मक वनरोपण” योजना के अंतर्गत विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु कुल रु0 273.31966 लाख (दो करोड़ तिहातर लाख इकतीस हजार नौ सौ छियासठ रुपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या — 04/कैम्पा-03/2021 — 08/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या — 04/कैम्पा-03/2021 — 26/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 16.09.2021
- इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष- 103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 02-‘प्रतिकरात्मक वनरोपण’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 273.31966 लाख (दो करोड़ तिहातर लाख इकतीस हजार नौ सौ छियासठ रुपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नालिखित इकाईयों में किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
1	मजदूरी	19S24060410302010103	141.99284
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410302010323	131.32682
कुल :-			273.31966

- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
- इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन संरक्षण अधिनियम में वन भूमि के अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार को भेजे गये स्थल प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल चयन समिति में स्वीकृत स्थल में ही कार्य सम्पादित करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/ स्थल में

25/11/2021

परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका iii (ख) का ध्यान रखेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्थीकृत प्राककलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्थीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राककलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राककलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राककलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राककलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राककलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

10. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थीकृत कार्य नियोजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के शर्तीय अनुपालन के तहत वन भूमि पर सम्पादित कराये जानेवाले कार्यों का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादित कराया जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वनरोपण/ दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/ शर्तीय अनुपालन के तहत कराये जाने वाले अन्य कार्यों का भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से उपयुक्तता तथा FC Act के diversion के समय भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादन कराया जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।

15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है –

- (i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent in used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- (ii) The State Authoritites shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,
- (iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- (iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- (v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to vally" only in degraded forests. This shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop


12/11/2021

dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :–

16. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
17. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।
18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे—
(II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
(III) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। समय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
(IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
(V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
(VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
(VII) वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्ट सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।
19. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—
(क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
(ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
20. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।



Signature: 12/11/2021

- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त व्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लेताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।

21. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (II) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

22. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 20 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

24. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

25. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 20 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।


Signature
12/11/2021

26. इस योजनात्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनात्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

27. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

29. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

आपका विश्वासी,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/11/2021

ज्ञापांक— 19M(02)CAMPA(2021-22)- 498 दिनांक— 12.11.2021.

प्रतिलिपि:— अनुलग्नक की प्रति सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ पलामू/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अँचल, देवघर/ हजारीबाग/ गढ़वा/ मेदिनीनगर/ गुमला/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/11/2021

ज्ञापांक— 19M(02)CAMPA(2021-22)- 498 दिनांक— 12.11.2021.

प्रतिलिपि:— अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ हजारीबाग/ कोडरमा/ गढ़वा/ लातेहार/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
12/11/2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिकारी - 1

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410302010103	19S24060410302010323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Deoghar	DGRFORE88	Raj Kumar Sah	Dfo Deo.For.Div.Deo.	₹25,27,930.00 (57460)	₹15,00,002.00 (57466)	₹40,27,932.00
2	Hazaribagh	HZBFWL005	Ravindra Nath Mishra I.F.S.	D.F.O., Hazaribag West Div,Hzb	₹34,98,976.00 (57461)	₹52,48,464.00 (57467)	₹87,47,440.00
3	Koderma	KDMFORA01	Suraj Kumar Singh	D.F.O. Koderma	₹19,20,000.00 (57462)	₹28,80,000.00 (57468)	₹48,00,000.00
4	Garhwa	GRHFWL001	Dileep Kumar Yadav	D.F.O. North Div. Garhwa	₹5,23,034.00 (57463)	₹3,25,570.00 (57470)	₹8,48,604.00
5	Latehar	LTRFOR001	Raushan Kumar	Dfo Forest Div Latehar	₹52,30,344.00 (57464)	₹31,78,646.00 (57471)	₹84,08,990.00
6	Simdega	SDGFOR002	Arvind Kumar Gupta	Divisional Forest Officer Simd	₹4,99,000.00 (57465)	₹0.00	₹4,99,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,73,31,966.00 (nks djksM rhgRrj yk[k bdrhl gtkj uks lkS NkNB) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

Sanjeev Kumar
12/11/2024
(SANJEEV KUMAR)
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Sanjeev Kumar
12/11/2024
Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand, Ranchi

वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपशीर्ष "02-प्रतिकरात्मक वनरोपण"

(मजदूरी दर : रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य एवं शर्तीय अनुपालन से संबंधित अन्य कार्य (अग्रिम कार्य)																				सकल योग				
		क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम				शर्तीय अनुपालन से संबंधित स्वीकृत कार्य												शर्तीय अनुपालन से संबंधित स्वीकृत कार्य								
		स्वीकृत कृषारोपण				स्वीकृत कृषारोपण						जल संचयन संरचना का निर्माण						प्रयोग विन्दु कार्य				अग्रिम सुक्ष्मा कार्य				
		वन भूमि कृषारोपण																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवधर वन प्रमण्डल, देवधर।	48.332	25.27930	15.00002	40.27932	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25.27930	15.00002	40.27932		
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग परिवनी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	---	---	---	---	---	---	---	---	12	34.98976	52.48464	87.47440	---	---	---	---	---	---	---	---	34.98976	52.48464	87.47440		
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19.20000	28.80000	48.00000	---	---	---	---	19.20000	28.80000	48.00000		
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढवा	---	---	---	---	10.000	5.23034	3.25570	8.48604	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.23034	3.25570	8.48604			
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार।	100.000	52.30344	31.78646	84.08990	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52.30344	31.78646	84.08990			
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेंगा वन प्रमण्डल, सिमडेंगा।	---	---	---	---	---	---	---	---	12	34.98976	52.48464	87.47440	---	19.20000	28.80000	48.00000	---	4.99000	4.99000	4.99000	4.99000	4.99000	4.99000	4.99000	4.99000
	सकल योग	148.332	77.58274	46.78648	124.36922	10.000	5.23034	3.25570	8.48604	12	34.98976	52.48464	87.47440	---	19.20000	28.80000	48.00000	---	4.99000	4.99000	4.99000	141.99284	131.32682	273.31966		

Sanjiv
अग्र प्रवान मुख्य वन इकाई,
कैम्पा, आरखण्ड, रोंदी।
12/11/2021



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M02CAMPA-2021/498

दिनांक -

12-Nov-2021

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	57460	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	2,527,930.00 रुपये पच्चीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ तीस
2	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	57461	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	3,498,976.00 रुपये चौतीस लाख अठानवे हजार नौ सौ सहतर
3	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	57462	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	1,920,000.00 रुपये उन्नीस लाख बीस हजार
योग:				7,946,906.00
क्रमिक योग:				

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	<p>S 19 24060410302010103</p> <p>2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी</p> <p>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</p> <p>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01-प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01 - वेतन एवं भत्ते</p>	57463	<p>GRHFWL001</p> <p>DILEEP KUMAR YADAV</p> <p>D.F.O. NORTH DIV.</p> <p>GARHWA</p>	<p>रुपये पाँच लाख तेहस हजार चौतीस</p> 
5	<p>S 19 24060410302010103</p> <p>2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी</p> <p>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</p> <p>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01-प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01 - वेतन एवं भत्ते</p>	57464	<p>LTRFOR001</p> <p>RAUSHAN KUMAR</p> <p>DFO FOREST DIV</p> <p>LATEHAR</p>	<p>रुपये बावन्न लाख तीस हजार तीन</p> <p>सौ चावालीस</p> 
6	<p>S 19 24060410302010103</p> <p>2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी</p> <p>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</p> <p>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01-प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>01 - वेतन एवं भत्ते</p>	57465	<p>SDGFOR002</p> <p>ARVIND KUMAR GUPTA</p> <p>DIVISIONAL FOREST</p> <p>OFFICER SIMD</p>	<p>रुपये चार लाख निनानवे हजार</p> 

योगः

કાયો પાક કરોડ હક્કાલીમ લાય જિલ્લાને હજાર ટો સૌ ચૌથાલી


6,252,378.00

क्रियिक योगः

14.199.284.00

(SANJEEV KUMAR) 12
ADDL RCCE CAMPA JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	57466	DRGFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,500,002.00 रुपये पंद्रह लाख दो
8	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	57467	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,248,464.00 रुपये बावन लाख अडतालीस हजार चार सौ चौसठ
9	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 04 - बन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक बनरोपण 01-प्रतिकरात्मक बनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	57468	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,880,000.00 रुपये अठाइस लाख अस्ती हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: 9,628,466.00 क्रमिक योग: 23,827,750.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	57470	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	325,570.00 रुपये तीन लाख पच्चीस हजार पौंच सौ सत्तर
11	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	57471	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,178,646.00 रुपये इकतीस लाख अठहत्तर हजार सौ स्यालोम
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: 3,504,216.00 ऋग्मिक योग: 27,331,966.00				
<p>रुपये दो करोड तीहत्तर लाख इकतीस हजार नौ सौ छाँठ  (SANJEEV KUMAR) ADDL PCCE CAMPA JHARKHAND 12/11/2021</p>				
Page 4 of 4				
59.97.1468 Addl. PCCE CAMPA JHARKHAND Ranchi Run Date: 12/11/2021				